250

संख्याः-203 /II-2017-04(01)/2011

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादूनः दिनांक22 मार्च, 2017

विषयः **साख-सीमा निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 301/प्र0अ0/सि0वि0/ वि0अनु0 /सी0 सी0एल0 दिनांक 24 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XIX नहर निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर वि0ख0 में 04 सं0 नहरों की आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार योजना हेतु निम्न विवरणानुसार निर्गत किये गये चैकों की कुल धनराशि रू0 472623, का भुगतान आर0बी0आई0 से वापस/फेल हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्ययगत हुई इन चैकों की धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 4,72623.00 (रू0 चार लाख बहत्तर हजार छः सौ तीस मात्र) का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	ठेकेदार का नाम	ई चैक संख्या	वाउचर संख्या	वाउचर दिनांक	शुद्ध धनराशि
1	श्री आविद अली	CC7500275903160197	C87820928	25.03.2016	188420
2	श्रीमती यशोदा देवी	CC7500275903160286	C87821053	26.03.2016	189353
3	श्री परवेज खॉ	CC7500275903160386	C87821218	29.03.2016	33060
4	श्री परवेज खॉ	CC7500275903160393	C87821224	29.03.2016	61790
			योग		472623

(i) उपरोक्त पुराने चैकों को मूल रूप में बैंक से वापस प्राप्त कर उसे निरस्त करते हुए नये चैक निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में काटे गये उक्त चैकों की धनराशि राज्य सरकार के खाते से आहरित नहीं की गयी है। इस हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(ii) उक्त प्रकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(iii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-06-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें-800-अन्य व्यय-02-अन्य रखरखाव व्यय- 0202-नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

....2

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0– 1249/XXVII(2)/2017, दिनांक 18 मार्च 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–203/वि०/ II–2017–04(01)/2011तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव